सनोबानु नजीरभाई मिर्ज़ा और अन्य

बनाम

अहमदाबाद नगरपालिका परिवहन सेवा

(सिविल अपील संख्या 8251/2013)

3 अक्टूबर, 2013

[जी. एस. सिंघवी और वी. गोपाल गौड़ा, जे. जे.]

मोटर वाहन अधिनियम, 1988:

एस. 166 – घातक मोटर दुर्घटना - क्षतिपूर्ति - मृतक-पॉलिशर की वार्षिक आय - भविष्य के लिए संभावनाए -गुणक - न्यायाधिकरण और उच्च न्यायालय मृतक की वार्षिक आय रु 15000 / - आयोजित किया गयाः दावा याचिका अन्तर्गत धारा 166 के तहत दायर की गई है। मृतक के प्रतिनिधि को कानूनी पक्ष में न्यायसंगत और उचित मुआवजा के लिए मृतक, जो परिवार का सदस्य एकमात्र कमाई कर रहे थे, की अनुमानित आय एम.वी. एक्ट धारा 163-ए, भारतीय अनुसूची- द्वितिय के तहत के आधार पर प्रति वर्ष 15,000/- रु निर्धारित करने के लिए एक गलत दृष्टिकोण है- मृतक पॉलिशर का काम करता था- जो एक कुशल काम है- साक्ष्य को ध्यान में रखते हुए 5000/- रुपये की राशि लेना उचित होगा- मृतक की मासिक आय के रूप में- चूंकि मृतक स्वयं नौकरीपेशा व्यक्ति था

और लगभग 25 वर्ष की आयु वाले व्यक्ति की वास्तविक आय में 50 प्रतिशत की वृद्धि होनी चाहिए-आश्रितों को व्यक्तिगत खर्चों के लिए पांचवें हिस्से की राशि काटनी होती है-मृतक की जीवन प्रत्याशा को ध्यान में रखते हुए, 20 का गुणक लागू किया जाना चाहिए-इसके अलावा, 1,00,000/-रु कंसोर्टियम के नुकसान के लिए और 1,00,000/- रु नाबालिग बच्चों की देखभाल और मार्गदर्शन के नुकसान के जोड़ा जाना चाहिए- तहत कुल मुआवजे की अनुमति 16,96,000/- रु जैसा कि निर्णय में विस्तृत है-इस संबंध में आगे के भुगतान के लिए, आश्रितों और सावधि जमाओं के बीच इसका विभाजन, निर्देश दिया गया है।

धारा 166 – घातक मोटर दुर्घटना-क्षतिपूर्ति-न्यायाधिकरण द्वारा 3,51,300/- रु. कुल मुआवजे के रूप में अवार्ड- उच्च न्यायालय ने इसे घटाकर अवार्ड राशि 2,51,500/- रु और 99,500/- रुपये उत्तरदाता को 9 प्रतिशत ब्याज के साथ वापस करने का निर्देश दिया- आयोजितः न्यायाधिकरण और उच्च न्यायालय दोनों ने मृतक द्वारा किए जा रहे कार्य की प्रकृति के अनुसार किसी भी साक्ष्य के अभाव में तथ्य की खोज में अभिलेख पर साक्ष्य को स्वीकार न करने का कारण निर्धारित नहीं किया है

राज्य सरकार न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अतंर्गत धारा 3 में अपनी वैधानिक शक्ति का प्रयोग करते हुए एक पॉलिशर की मजदूरी तय करने के लिए एक अधिसूचना जारी करनी चाहिए-भले ही ऐसा कोई

प्रावधान न हो, न्यायाधिकरण के साथ-साथ उच्च न्यायालय दोनों को न्यायपूर्ण, निष्पक्ष और न्यायपूर्ण निर्धारण के उद्देश्य से अपीलार्थियों की निर्भरता का नुकसान शीर्षक के तहत उचित मुआवजा एम.वी. एक्ट धारा 163-ए, भारतीय अनुसूची- द्वितिय में प्रदान की गई तालिका के अनुसार मृतक की वार्षिक आय को कम से कम 40,000/- रु ली जानी चाहिए, हालांकि उक्त राशि केवल बिना किसी गलती के दायित्व के तहत दावों पर लागू होती है-न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1923 की धारा 3- विधान।

धारा 166 - दावा याचिका- अपील में मुआवजे में वृद्धि-आयोजितः मृतक के कानूनी प्रतिनिधि निर्णय में दिए गए अनुसार तालिका में विभिन्न शीर्षों के तहत उल्लिखित मुआवजे का हकदार हैं - भले ही कुछ दावे उनके द्वारा प्रस्तावित नहीं किए गए थे, वे कानूनी रूप से उक्त दावों के लिए वैध रूप से हकदार हैं - तदनुसार, अदालत ने, जो दावा किया गया था उससे अधिक, मुआवजे का फैसला किया क्योंकि यह न्यायाधिकरण और अपीलीय का वैधानिक कर्तव्य है कि अदालत कानूनी लोगों को मृतक के प्रतिनिधि अपनी कठिनाई और पीड़ा को कम करने के लिए न्यायसंगत और उचित मुआवजा देगी, क्योंकि उन्होंने अतंर्गत धारा 166 आवेदन दायर किया था।

25 साल के एक युवक को प्रत्यर्थी से संबंधित बस के नीचे कुचल दिया गया। उसे चोट लगी और उन्होंने दम तोड़ दिया। अपीलार्थियों के

आश्रितों द्वारा मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 166 में दायर याचिका में कहा गया था कि मृतक एक पॉलिशर था और प्रतिमाह 4000 - 5000 रूपये पतिमाह कमा रहा था। हालाकि न्यायाधिकरण ने एम वी एक्ट की धारा 163-ए की अनुसूची-द्वितिय के अनुसार मृतक की वार्षिक आय 15000/- रू लिया गया और कुल 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज पर कुल अवार्ड 3,51,000/- रू पारित किया। प्रतिवादी की अपील पर उच्च न्यायालय ने मुआवजे को घटाकर 2,51,800/- रू और दावेदारों को उत्तरदाता को 9 प्रतिशत ब्याज के साथ 99,500/- रुपये वापस करने के लिए निर्देश दिया।

न्यायालय ने अपील को अनुमति देते हुए, अभिनिर्धारित किया :

1.1 मृतक की अनुमानित आय Rs.15,000/- प्रति वर्ष लेने में न्यायाधिकरण का दृष्टिकोण जिसमें Rs.30,000/- जोड़ा गया और 2 से विभाजित किया गया, इसे Rs.22,500/- की शुद्ध वार्षिक आय में लाना जिसमें उच्च न्यायालय द्वारा आगे हस्तक्षेप किया गया है न्यायसंगत और उचित निर्धारण के लिए दृष्टिकोण कानूनी प्रतिनिधियों के पक्ष में मुआवजा मृतक जो परिवार का एकमात्र कमाने वाला सदस्य था। [पैरा 7] [892-ई-जी]

उच्च न्यायालय, इस प्रकार उन्होंने गंभीर रूप से गलती की है यद्यपि मृतक की इतनी कम अनुमानित आय है दावे के समर्थन में

अभिलेख पर साक्ष्य है और याचिका अतंर्गत धारा 166 एम. वी. अधिनियम दायर की गई थी। Rs.15,000/- प्रति वर्ष को काल्पनिक आय के रूप में लेना और व्यक्तिगत खर्चों के लिए पांचवें हिस्से की कटौती जो Rs.12,000/- पर आना न केवल उच्च न्यायालय का एक गलत दृष्टिकोण है, बल्कि कानून में भी दूषित है। न्यायाधिकरण और उच्च न्यायालय दोनों ने कोई आदेश नहीं दिया है। अभिलेख पर साक्ष्य को स्वीकार नहीं करने का कारण जो कार्य किया जा रहा था उसकी प्रकृति के संबंध में सनोबानु नजीरभाई मिर्ज़ा v. अहमदाबाद म्यूनिसिपल 885 परिवहन सेवा मृतक के द्वारा। द्वारा दर्ज तथ्य का निष्कर्ष यह दिखाने के लिए कि मृतक एक पॉलिशर के रूप में काम नहीं कर रहा था और यह एक कुशल काम नहीं है, खंडन में किसी भी सबूत के अभाव में न्यायाधिकरण भी एक गलत निष्कर्ष है। [पैरा 7] [892-एच; 893-ए-सी]

1.3 राज्य सरकार न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 की धारा 3 के तहत अपने वैधानिक नियमों का प्रयोग करते हुए एक पॉलिशर की मजदूरी तय करने के लिए एक अधिसूचना जारी करनी चाहिए। यहां तक कि ऐसी अधिसूचना की अनुपस्थिति में, दोनों न्यायाधिकरण के साथ ही उच्च न्यायालय को न्यायपूर्ण, निष्पक्ष और न्यायपूर्ण निर्धारण के उद्देश्य से एम. वी. अधिनियम की धारा 163-ए की दूसरी अनुसूची में प्रदान की गई तालिका अनुसार मृतक की आय कम से कम Rs.40,000/- प्रति वर्ष के रूप में लेनी चाहिए थी। अपीलार्थियों की निर्भरता, यद्यपि उक्त राशि

केवल बिना किसी दोष दायित्व के दावों पर लागू होता है। अगर 1/5 उक्त वार्षिक आय में से राशि काट ली जाती है तो वार्षिक आय का परिणामी गुणक Rs.32,000/- प्रति वर्ष होगा। [पैरा 7] [893-सी-एफ]

1.4 मामले के तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, इस न्यायालय को मृतक की मासिक आय Rs.5000/- का योग लेना उचित होगा और इस प्रकार वार्षिक आय Rs.60,000/- तक आएगी। राजेश एंड अन्य बनाम राजबीर सिंह में हालिया के निर्णय में, जबकि यह न्यायालय संतोष देवी के मामले का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि स्व-नियोजित व्यक्तियों या नियत व्यक्तियों के मामलें में मजदूरी, यदि मृतक पीड़ित 40 वर्ष से कम आयु का था, तो भविष्य की संभावनाओं की गणना करते हुए मृतक की वास्तविक आय में 50 प्रतिशत की वृद्धि होनी चाहिए। मृतक के पाँच आश्रितों को ध्यान में रखते हुए इस मामले में व्यक्तिगत खर्चों के लिए कटौती 1/5 वीं राशि होनी है । ध्यान में रखते हुए मृतक की आयु 25 वर्ष है, जैसा कि पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है, न्यायाधिकरण और उच्च न्यायालय दोनों द्वारा आयु ली जाती है, मृतक की जीवन प्रत्याशा और निर्भरता के नुकसान की मात्रा निर्धारित करने के उद्देश्य से गुणक पर को ध्यान में रखते हुए, 20 का गुणक लागू किया जाना चाहिए। इसके अलावा इस निर्णय के बाद, इस न्यायालय ने राजेश वी. राजबीर सिंह के मामले में, 1,00,000/- रु कंसोर्टियम के नुकसान के शीर्ष के तहत जोड़ा जाएगा और 1,00,000/- रु नाबालिग बच्चों के लिए देखभाल

और मार्गदर्शन के नुकसान के शीर्ष के तहत अवश्य देना चाहिए। [पैरा 8] [893-जी-एच; 894-ए-ई]

संतोष देवी बनाम राष्ट्रीय बीमा कंपनी लिमिटेड और अन्य 2012(3) एससीआर 1178 = (2012) 6 एससीसी 421; राजेश और अन्य बनाम राजबीर सिंह 2013 (6) स्केल 563; नागप्पा बनाम गुरुदयाळ सिंह और अन्य 2002(4) पूरक: एससीआर 499 = (2003) 2 एससीसी 274- पर आश्रित है।

1.5 भले ही कुछ दावों को आश्रितों द्वारापसंद नहीं किया गया था यद्यपि वे उक्त दावों के लिए कानूनी और वैध रूप से हकदार हैं । तदनुसार यह न्यायालय क्षतिपूर्ति राशि, आश्रितों द्वारा जो दावा किया गया था, मृतक के कानूनी प्रतिनिधियों को उनकी कठिनाई और पीड़ा को कम करने के लिए अधिक मुआवजा देता है, क्योंकि यह न्यायाधिकरण और अपीलीय न्यायालय का उचित निर्णय देने के लिए वैधानिक कर्तव्य और न्यायसंगत है। इसलिए इस न्यायालय ने, क्षतिपूर्ति का दावा करने वाला आवेदन अतंर्गत धारा 166 एम.वी. एक्ट अपीलार्थियों के पक्ष में मुआवजे के रूप में उन्होंने दायर किया, न्यायसंगत और उचित निर्णय दिया है। प्रासंगिक तथ्यों और कानूनी साक्ष्य को ध्यान में रखते हुए यह न्यायालय प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत अभिलेख पर और खंडन साक्ष्य के अभाव में दावा याचिका दायर करने की तारीख से भुगतान किए जाने की तारीख तक 7.5% की

दर से ब्याज के साथ रु. 16,96,000/- कुल राशि विभिन्न शीर्षों के तहत प्रदान करके न्यायसंगत और उचित मुआवजे का निर्धारण करता है, जैसा कि निर्णय में विस्तृत है। याचिकाकर्ता [पैरा 9] [896-एफ-एच; 897-ए-बी]

रिताबेन @ वनीताबेन और अन्य बनाम अहमदाबाद नगरपालिका परिवहन सेवा और अन्य 1998 (2) जी.एल.एच. 670, एस. चंद्रा और अन्य बनाम पल्लवन परिवहन निगम (1994) 2 एस.सी.सी 189, महाप्रबंधक, केरल राज्य सड़क परिवहन निगम, त्रिवेंद्रम बनाम सुसम्मा थॉमस और अन्य (1994) 2 एससीसी 176, गुजरात राज्य सड़क परिवहन निगम बनाम सूर्यकांतबेन डी. आचार्य और अन्य 2001 (2) जी.एल.आर. 1777-उद्धृत।

मामला कानून संदर्भः

1998 (2) जीएलएच 670	उद्धृत	पैरा 6
(1994) 2 एससीसी 189	उद्धृत	पैरा 6
(1994) 2 एससीसी 176	उद्धृत	पैरा 6
2001 (2) जीएलआर 1777	उद्धृत	पैरा 6
2012 (3) एससीआर 1178	निर्भर	पैरा 8
2013 (6) स्केल 563	निर्भर	पैरा 8

2002 (4) पूरक। एस.सी.आर.499 निर्भर पैरा 8

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः

सिविल अपील सं 8251/2013

गुजरात उच्च न्यायालय अहमदाबाद के निर्णय और आदेश की पहली अपील संख्या 1549/2002 में पारित दिनांकित 11.01.2012 से

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति वी. गोपाल गौड़ा द्वारा सुनाया गया था

01. छुट्टी दी गई।

02. मृतक नज़ीरभाई के कानूनी प्रतिनिधि, जिनकी 30 मई, 1998 को एक सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी, की जरात उच्च न्यायालय, अहमदाबाद के प्रथम अपील संख्या 1549/2002 में दिनांक 11.01.2012 के निर्णय और आदेश से व्यथित थे, जिसमें उच्च न्यायालय ने प्रतिवादी की अपील को आंशिक रूप से स्वीकार कर लिया था और अहमदाबाद में मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण; ¼ संक्षेप में न्यायाधिकरण ½ द्वारा 1998 के एमएसीपी नंबर 563 दिनांक 23.10.2001 में दावेदारों के पक्ष में दिए गए मुआवजे को 3,51,300/- से रु. 2,51,800/- रुपये से कम कर अपीलकर्ताओं दावेदारों को रु. 99,500/- की अतिरिक्त राशि 9% प्रति वर्ष की दर से ब्याज के साथ वापस करने का निर्देश दिया था। अपीलकर्ता दावेदारों ने कुछ आधारों का आग्रह करते हुए यह अपील दायर की है और

उच्च न्यायालय द्वारा पारित फैसले और पुरस्कार को रद्द करने की प्रार्थना की है।

03. पार्टियों के प्रतिद्वंद्वी दावों के समर्थन में इस मामले के संक्षिप्त तथ्य नीचे दिए गए हैं।

दिनांक 30.05.1998 को, मृतक नज़ीर भाई सुबह लगभग 10.30 बजे हरणवाली पोल में रशीदभाई पठान के घर पॉलिशिंग के अपने ठेके पर काम करने के लिए अपनी साइकिल पर जा रहे थे। जब वह कालिदास मिल कच्चा चौराहे पर साइकिल लेकर अन्य मजदूरों का इंतजार कर रहा थाए तभी सुबह करीब 10.45 बजे अहमदाबाद नगर परिवहन सेवा ¼एएमटीएस½ की एक बस, जिसका पंजीकरण संख्या जीजे-1-टीटी-8337 है, तेज गति और लापरवाही वन-वे से आई और अपने अगले हिस्से से उस पर टक्कर मारी और उसे नीचे गिरा दिया और शारीरिक चोटें पहुंचाईं। वह अपनी साइकिल के पहिये के नीचे कुचला गया और बाद में उसी दिन शाम 6.00 बजे उसकी मौत हो गई। मृतक के कानूनी उत्तराधिकारी उसकी विधवा पत्नि, उसके नाबालिग बच्चों और उसके माता-पिता ने उचित मुआवजा देने के लिए ट्रिब्यूनल के समक्ष दावा याचिका दायर की, जिसमें ट्रिब्यूनल ने 3,51,300/- रुपये की राशि आवेदन की तिथि से भुगतान की तिथि तक 9% प्रति वर्ष की दर से ब्याज सहित देने का फैसला किया। ट्रिब्यूनल के फैसले और पुरस्कार से व्यथित प्रतिवादी ने उच्च न्यायालय

में एक अपील दायर कर दावेदारों के पक्ष में दिए गए मुआवजे को इस आधार पर कम करने का आग्रह किया कि ट्रिब्यूनल ने आय का आकलन करने में तथ्यों और कानून में त्रुटि की है। मोटर वाहन अधिनियमए 1988; ¼ संक्षेप में एमवी अधिनियम½ की धारा 163-ए की दूसरी अनुसूची के आधार पर मृतक और दुर्घटना वर्ष 1998 की होने के कारण आय का आकलन 15,000/- रुपये प्रति वर्ष किया जाना चाहिए था। उच्च न्यायालय ने प्रतिवादी की अपील को आंशिक रूप से स्वीकार कर लिया और मुआवजे को घटाकर 2,51,800/- रुपये कर दिया और आदेश दिया कि 99,500/- रुपये की अतिरिक्त राशि 9% प्रति वर्ष की दर से ब्याज के साथ प्रतिवादी को वापस कर दी जाएगी। उच्च न्यायालय द्वारा पारित इस निर्णय और पुरस्कार से व्यथित होकर मृतक के कानूनी प्रतिनिधियों ने विभिन्न आधारों और कानूनी विवादों का आग्रह करते हुए यह सिविल अपील दायर की और इस न्यायालय से अनुरोध किया कि वह इस फैसले और पुरस्कार को रद्द कर दे और इसके अलावा ट्रिब्यूनल के फैसले को संशोधित करते हुए उचित मुआवजा दे।

4. अपीलकर्ताओं के विद्वान वकील सुश्री सरोज रायचुरा द्वारा यह आग्रह किया गया है कि गुजरात उच्च न्यायालय ने अपने अपीलीय क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते हुए 11-12 वर्षों की लंबी अवधि के बाद ट्रिब्यूनल द्वारा पारित निर्णय और पुरस्कार को संशोधित किया है, जो एमवी एक्ट के प्रावधानों के तहत जीवन और प्राकृतिक न्याय के अधिकार

और अपीलकर्ताओं के वैधानिक अधिकारों का उल्लंघन है। एक अन्य आधार पर आग्रह किया गया है कि उच्च न्यायालय यह मानने में सही नहीं था कि ट्रिब्यूनल के विद्वान सदस्यों द्वारा दिया गया मुआवजा अत्यधिक है और परिणामस्वरूपए अपीलकर्ताओं को ब्याज सहित 99,500/- रुपये की राशि वापस करने का निर्देश जारी किया गया है। 11 वर्ष की लंबी अवधि के बाद 9% ब्याज कानूनन पूरी तरह से टिकाऊ नहीं है। यह प्रस्तुत किया गया है कि मृत्यु के समय मृतक की उम्र 25 वर्ष थी और वह स्वस्थ था और यदि वह दुर्घटना का शिकार नहीं हुआ होता तो वह लंबे समय तक जीवित रहता। दुर्घटना से पहले वह पॉलिश और रंगाई के काम में लगा हुआ था और प्रति माह 4,000/- से 5,000/- रुपये कमाता था और वह अपने काम में अच्छा था और भविष्य में प्रगति करता। यह आग्रह किया गया है कि चूंकि अपीलकर्ता नंबर 3 का जन्म मृतक की मृत्यु के बाद हुआ था, इसलिए पितृत्व की हानि के मद में मुआवजा भी दिया जाना चाहिए। आगे कानूनी तर्क यह दिया गया है कि उच्च न्यायालय ने 11 वर्षों के लंबे समय के बाद मुआवजे को कम करके फैसले और पुरस्कार में हस्तक्षेप किया है। भले ही ट्रिब्यूनल ने रिकॉर्ड पर तथ्यों और कानूनी सबूतों की उचित सराहना के बाद सही तरीके से मुआवजा दिया है। उच्च न्यायालय को अपने अपीलीय क्षेत्राधिकार के प्रयोग में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए था। इसलिए अपीलकर्ताओं ने उच्च न्यायालय के आक्षेपित निर्णय और आदेश को रद्द करने के लिए इस

न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है और उचित मुआवजा देने का आदेश पारित करने की प्रार्थना की है।

5. हमने यह पता लगाने के लिए कि क्या ट्रिब्यूनल द्वारा दिए गए मुआवजे की मात्रा के साथ उच्च न्यायालय का हस्तक्षेप है अपने अपीलीय क्षेत्राधिकार के प्रयोग में गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और पुरस्कार की सत्यता की सावधानीपूर्वक जांच की है। इसका निर्णय कानूनी वैध और उचित है और इसके अलावाए दावेदार किस राशि के हकदार हैं। हमने दलीलों और रिकॉर्ड पर मौजूद सबूतों के आधार पर ट्रिब्यूनल द्वारा दिए गए फैसले का भी अध्ययन किया हैए जिसमें इस तथ्य को स्पष्ट रूप से दर्ज किया गया है कि मृतक को 30.05.1998 को सुबह लगभग 10.30 बजे एक सड़क दुर्घटना में शारीरिक चोटें आई थीं। हरनवाली पोल में रशीदभाई पठान के घर पॉलिशिंग के अपने ठेके के काम में भाग लेने जा रहा था। जब वह कालिदास मिल कच्चा चौराहे पर साइकिल लेकर अन्य मजदूरों का इंतजार कर रहा था, उसी समय सुबह लगभग 10.45 बजे एक एएमटीएस बस पंजीकरण संख्या जीजे-1-टीटी-8337 तेज गति से और लापरवाही से वन-वे रास्ते पर आई और उसे अपने अगले हिस्से से टक्कर मारी और उसे नीचे गिरा दिया और गंभीर शारीरिक चोटें पहुंचाईं। वह अपनी साइकिल के पहिये के नीचे कुचल गया था और बाद में शाम 6.00 बजे चोटों के कारण उसकी मृत्यु हो गई। ट्रिब्यूनल ने रिकॉर्ड पर कानूनी सबूतों के आधार पर यह निष्कर्ष दर्ज किया और माना है कि दुर्घटना

इसके चालक द्वारा आक्रामक वाहन की तेज गति और लापरवाही से गाड़ी चलाने के कारण हुई और मृतक को चोटें लगीं और उसी दिन शाम को उनकी मृत्यु हो गई। उपर्युक्त तथ्य निष्कर्ष को अपीलीय प्राधिकारी द्वारा अपने अपीलीय क्षेत्राधिकार के प्रयोग में रद्द नहीं किया गया है।

6. ट्रिब्यूनल ने रुपये की राशि ली हैण् धारा 163-ए की दूसरी अनुसूची के अनुसार 15,000/- प्रति वर्ष रीताबेन @ वनिताबेन बनाम अहमदाबाद नगर परिवहन सेवा एवं अन्य के मामले में गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित अनुपात के आधार पर एमवी अधिनियम को काल्पनिक आय के रूप में, जिसमें यह माना गया है कि घातक मामलों में मुआवजे के लिए एक डेटाम आंकड़े को ध्यान में रखा जाना आवश्यक है। इसे ट्रिब्यूनल द्वारा मौजूदा मामले में लागू किया गया था और इस आंकड़े में 30,000/- रुपये जोड़े गए थे, जिसे बाद में 2 से विभाजित किया गया था ताकि शुद्ध वार्षिक आय 22,500/- रुपये हो जाए, जिसमें से 1/3 राशि मृतक के व्यक्तिगत खर्चों और भरण-पोषण के लिए कटौती की गई और इस प्रकार शुद्ध पुरस्कार योग्य निर्भरता की गणना 15,000/- रुपये प्रति वर्ष की गई। इस न्यायालय के एस. चन्द्रा एवं अन्य बनाम पल्लवन परिवहन निगम का मामला में को औसत जीवन प्रत्याशा के संबंध में भी संदर्भित किया गया है, जिसमें इस न्यायालय ने 42 वर्ष की आयु के मृतक के मामले में 20 को गुणक के रूप में लिया है। महाप्रबंधक, केरल राज्य सड़क परिवहन निगम, त्रिवेन्द्रम बनाम सुसम्मा थॉमस और अन्य के

मामले में इस न्यायालय ने गुणक के गुणक को निर्धारित करने के लिए अपनाई जाने वाली विधि पर चर्चा की और ऐसे मामले में 12 का गुणक लिया जहां मृतक की आयु 39 वर्ष थी। हालाँकि ट्रिब्यूनल ने एस. चन्द्रा ¼सुप्रा½ के मामले का उल्लेख करने के बाद मृत्यु के समय मृतक के मामले में 20 का गुणक लेने के लिए उसी पर भरोसा करना पसंद किया क्योंकि उसकी उम्र लगभग 25 वर्ष थी, जैसा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दर्शाया गया है। इसलिए अपीलकर्ताओं को दी जाने वाली भविष्य की आर्थिक हानि की गणना 3,00,000/- रुपये की गई। इसके बाद गुजरात राज्य सड़क परिवहन निगम बनाम सूर्यकांताबेन डी.आचार्य एवं अन्य के मामले में निर्णय, जिसमें गुजरात उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि कीमतों में वृद्धि और मुद्रास्फीति की उच्च दर को ध्यान में रखते हुए पारंपरिक राशि को 10,000/- रुपये से बढ़ाकर 20,000/- रुपये करने की आवश्यकता है, जो कि भारतीय अर्थव्यवस्था में एक सामान्य घटना है, बाद में ट्रिब्यूनल ने जीवन प्रत्याशा के नुकसान के लिए 20,000/- रुपये और चिकित्सा व्यय के लिए 500/- रुपये का मुआवजा दिया। चूंकि अपीलकर्ताओं द्वारा चिकित्सा दावे और रु. 2000/- के परिचर शुल्क को बनाए रखने के लिए ट्रिब्यूनल के समक्ष कोई सबूत प्रस्तुत नहीं किया गया थाए इसलिए ट्रिब्यूनल ने माना है कि दावा उच्च स्तर पर था और उसने रु. 500/- की राशि का फैसला सुनाया है। परिचारक शुल्क के प्रतिण् इसके अलावा परिवहन शुल्क के लिए 300/- रुपये दिए गए क्योंकि

अपीलकर्ताओं ने यह दिखाने के लिए सबूत पेश नहीं किया है कि शव के परिवहन के लिए 2000/- रुपये खर्च किए गए थे। उच्च न्यायालय द्वारा आक्षेपित निर्णय में हस्तक्षेप किया गया है और धारा 163-ए की दूसरी अनुसूची में दिए गए प्रावधान के अनुसार प्रति वर्ष केवल 15,000/- रुपये की अनुमानित आय लेते हुए मुआवजे को घटाकर 2,51,000/- रुपये कर दिया गया है । एमवी अधिनियम का और व्यक्तिगत खर्चों के लिए 1/5 राशि की कटौती की गई। निर्भरता लाभ को 12,000/- रुपये प्रति वर्ष तक ले जाया गया और 18 गुणक लागू किया गया और 2,16,000 रुपये की राशि प्रदान की गई और 10,000/- रुपये कंसोर्टियम के नुकसान के लिए दिए गए। संपत्ति, अंतिम संस्कार के खर्च के लिए रु. 5000/- दर्द, सदमे और पीड़ा के लिए रु. 5,000/-, परिचारक शुल्क के लिए रु. 500/- और परिवहन शुल्क के लिए रु. 300/- । उच्च न्यायालय द्वारा ट्रिब्यूनल के फैसले और पुरस्कार को संशोधित करके कुल 2,51,800/- रुपये का मुआवजा दिया गया, जिसने 3,51,300/- रुपये का मुआवजा दिया और इसके अलावा उच्च न्यायालय ने अपीलकर्ताओं को प्रतिवादी को 9% प्रति वर्ष की दर से ब्याज के साथ 99,500/- रुपये की अतिरिक्त राशि मुआवजा वापस करने का निर्देश दिया। अपीलकर्ताओं द्वारा विभिन्न आधारों का आग्रह करते हुए इस अपील को दायर करके इस न्यायालय के समक्ष इसे सही ढंग से चुनौती दी गई थी।

7. हमारे सुविचारित विचार में, मृतक की अनुमानित आय 15,000/- रुपये प्रति वर्ष लेने में ट्रिब्यूनल और उच्च न्यायालय दोनों का दृष्टिकोण, जिसमें 30,000/- रुपये जोड़े गए और इसे 2 से विभाजित किया गया, 22,500/- रुपये की शुद्ध वार्षिक आय, जिसे उच्च न्यायालय ने एमवी अधिनियम की धारा 163-ए की दूसरी अनुसूची के आधार पर 15,000/- रुपये को काल्पनिक आय के रूप में लेते हुए मृतक के कानूनी प्रतिनिधियों के पक्ष में उचित मुआवजा निर्धारित करना, जो परिवार का एकमात्र कमाने वाला सदस्य था, हस्तक्षेप किया है, एक गलत दृष्टिकोण है। यह निर्विवाद तथ्य है कि मृतक पॉलिश का काम करता था, जो एक कुशल काम है। अपीलकर्ताओं के मामले के इस महत्वपूर्ण पहलू पर ट्रिब्यूनल और उच्च न्यायालय दोनों ने विचार नहीं किया, जिससे उन्होंने मृतक की इतनी कम अनुमानित आय मानकर गंभीर गलती की है, हालांकि रिकॉर्ड पर सबूत हैं और दावा याचिका एमवी अधिनियम की धारा 166 के तहत दायर की गई थी। उच्च न्यायालय द्वारा प्रति वर्ष 15,000/- रुपये को अनुमानित आय के रूप में लेना और व्यक्तिगत खर्चों के लिए 1/5 की कटौती करना, जो कि 12,000/- रुपये होगा, न केवल उच्च न्यायालय का एक गलत दृष्टिकोण है, बल्कि कानून की दृष्टि से भी दूषित है। किसी भी खंडन साक्ष्य के अभाव में ट्रिब्यूनल द्वारा दर्ज तथ्य की खोज यह दिखाने के लिए कि मृतक पॉलिशर के रूप में काम नहीं कर रहा था और यह कोई कुशल काम नहीं है, यह भी एक गलत निष्कर्ष है क्योंकि ट्रिब्यूनल और उच्च

न्यायालय दोनों ने मृतक द्वारा किए जा रहे कार्य की प्रकृति के संबंध में रिकॉर्ड पर साक्ष्य को स्वीकार न करने का कारण नहीं बताया गया। राज्य सरकार को न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 की धारा 3 के तहत अपनी वैधानिक शक्ति का प्रयोग करते हुए पॉलिशर की मजदूरी तय करने के लिए एक अधिसूचना जारी करनी चाहिए। ऐसी अधिसूचना के अभाव में भी, ट्रिब्यूनल और उच्च न्यायालय दोनों को धारा 163-ए की दूसरी अनुसूची में दी गई तालिका के अनुसार मृतक की आय कम से कम 40,000/- रुपये प्रति वर्ष माननी चाहिए थी। अपीलकर्ताओं की निर्भरता की हानि के शीर्षक के तहत उचित, निष्पक्ष और उचित मुआवजे का निर्धारण करने के उद्देश्य से एमवी अधिनियम के तहत, हालांकि उक्त राशि केवल बिना किसी गलती दायित्व के दावों पर लागू होती है। यदि उपरोक्त वार्षिक आय में से 1/5 राशि काट दी जाए तो परिणामी गुणक रु. 32,000/- प्रति वर्ष होगा। ट्रिब्यूनल और उच्च न्यायालय दोनों को उपरोक्त आधार पर आगे बढ़ना चाहिए था और अपीलकर्ताओं की निर्भरता की हानि शीर्षक के तहत मुआवजे का निर्धारण करना चाहिए था।

8. उपरोक्त तथ्य को ध्यान में रखते हुए हमें यह मानना होगा कि मृतक की नौकरी की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए इस न्यायालय के लिए मृतक की मासिक आय के रूप में 5000/- रुपये की राशि लेना उचित होगा। पॉलिशर के रूप में कार्य कर रहा था, जो एक कुशल कार्य है, जिसमें वार्षिक आय रु. 60,000/- होगी। इस न्यायालय ने संतोष देवी बनाम

नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड एवं अन्य के फैसले में कहा है कि एक निश्चित अवधि में मृतक की कुल आय में वृद्धि के लिए 30% की अतिरिक्त वृद्धि लागू की जानी चाहिए। इसके अलावा इस न्यायालय ने राजेश और अन्य बनाम राजबीर सिंह के हालिया फैसले में संतोष देवी ¼सुप्रा½ के मामले का जिक्र करते हुए कहा कि स्व.रोजगार वाले व्यक्तियों या निश्चित वेतन वाले व्यक्तियों के मामले में, यदि मृतक पीड़ित 40 वर्ष से कम जीवित था, तो मृतक की भविष्य की संभावनाओं की गणना करते समय मृतक की वास्तविक आय में 50% की वृद्धि होना चाहिए। मामले में मृतक के पांच आश्रितों को ध्यान में रखते हुए व्यक्तिगत खर्च के लिए 1/5 राशि की कटौती की जानी है। मृतक की उम्र 25 वर्ष मानते हुए, जैसा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताया गया है, जिस उम्र को ट्रिब्यूनल के साथ-साथ उच्च न्यायालय दोनों द्वारा लिया जाता है, और मृतक की जीवन प्रत्याशा को ध्यान में रखते हुए 20 का गुणक होना चाहिए निर्भरता के नुकसान की मात्रा निर्धारित करने के उद्देश्य से गुणक पर लागू किया गया। इसके अलावा राजेश बनाम राजबीर सिंह ¼सुप्रा½ ; मामले में इस न्यायालय के फैसले के बाद, कंसोर्टियम के नुकसान के मद में 1,00,000/- रुपये और देखभाल और मार्गदर्शन के नुकसान के मद में 1,00,000/- रुपये जोड़े जाने चाहिए। नाबालिग बच्चों के लिए इसके अलावा इस न्यायालय द्वारा सुप्रा में संदर्भित मामले में यह माना गया था कि अंतिम संस्कार के खर्च के लिए 25,000/- रुपये दिए जाने चाहिए क्योंकि इस न्यायालय ने सुप्रा

में संदर्भित मामले में टिप्पणी की है कि न्यायाधिकरण इसके तहत 'अंतिम संस्कार' व्यय के मद में मुआवजा देने में मितव्ययी रहे हैं। और इसलिए हम दावेदारों/कानूनी प्रतिनिधियों को अंतिम संस्कार व्यय के मद में 25,000/- रुपये का पुरस्कार देते हैं। इसलिए कुल मुआवजे का आकलन विभिन्न मदों के तहत निम्नानुसार किया जाना चाहिए-

क्रम संख्या	शीर्षक	गणना
(1)	आय	रु 5,000/-
(2)	उपर्युक्त का 50% भविष्योतर इस प्रकार जोड़ा जाएगा	(रू5,000 + रू2,500)= 7,500 रू प्रति माह
(3)	¼2½ का 1/5 वाँ हिस्सा मृतक के निजी खर्चे के रूप में काटा जाएगा	(रू7,500 - रू1,500)= 6,000 रू प्रति माह
(4)	20 का गुणक के बाद मुआवजा	(रू6,000/-*12*20)= रु 14,40,000/-
(5)	कंसोर्टियम का नुकसान	रु 1,00,000/-
(6)	नाबालिग बच्चों के देखभाल और मार्गदर्शन का नुकसान	रु 1,00,000/-
(7)	अंतिम संस्कार और अंत्येष्टि व्यय	रु 25,000/-
(8)	दर्द, हानि और कष्ट	रु 25,000/-
(9)	चिकित्सा व्यय	रु 3,000/-

(10)	अटेंडेंट शुल्क और परिवहन व्यय	रु 3,000/-
कुल मुआवजा राशि		रु 16,96,000/-

नुकसान की विभिन्न मदों के तहत ऊपर गणना के अनुसार 16,96,000/- रुपये की राशि अपीलकर्ताओं/दावेदारों के पक्ष में दी जानी चाहिए, हालांकि मुआवजे को बढ़ाने के संबंध में कोई विशेष उल्लेख नहीं है क्योंकि अपील में मूल रूप से इसका अनुरोध किया गया है अपीलकर्ताओं द्वारा प्रतिवादी द्वारा दायर अपील में उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और आदेश को रद्द करने के लिए हमें नागप्पा बनाम गुरुदयाल सिंह एवं अन्य के पैरा 7 में कानूनी सिद्धांतों का पालन करना चाहिए, जिसमें एमवी अधिनियम के प्रावधानों के संबंध में ए इस न्यायालय ने निम्नानुसार देखा है:

> "इस बात पर कोई प्रतिबंध नहीं है कि मुआवजा केवल दावेदार द्वारा दावा की गई राशि तक ही दिया जा सकता है। एक उपयुक्त मामले मेंए जहां रिकॉर्ड पर लाए गए सबूतों से यदि ट्रिब्यूनल/अदालत यह मानती है कि दावेदार दावे से अधिक मुआवजा पाने का हकदार हैए तो ट्रिब्यूनल ऐसा पुरस्कार पारित कर सकता है। एकमात्र प्रतिबंध यह है. यह न्याय संगत मुआवजा होना चाहिए यानी यह न तो मनमाना काल्पनिक और न ही

साक्ष्य के आधार पर अनुचित होना चाहिए। यह एमवी अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों के संदर्भ से स्पष्ट होगा । धारा 166 में प्रावधान है कि किसी दुर्घटना से उत्पन्न होने वाले मुआवजे के लिए एक आवेदन जिसमें मोटर वाहनों के उपयोग से उत्पन्न व्यक्तियों की मृत्यु या शारीरिक चोट या किसी तीसरे पक्ष की किसी भी संपत्ति को नुकसान या दोनों शामिल हो सकते हैं, हो सकता है (क) उस व्यक्ति द्वारा जिसे चोट लगी है या (ख) संपत्ति के मालिक द्वारा या (ग) जहां दुर्घटना के परिणामस्वरूप मृत्यु हुई है, मृतक के सभी या किसी कानूनी प्रतिनिधि द्वारा या (घ) घायल व्यक्ति या मृतक के सभी या किसी कानूनी प्रतिनिधि द्वारा विधिवत अधिकृत किसी एजेंट द्वारा जैसा भी मामला हो।"

9. इस न्यायालय के पूर्वोक्त निर्णय के मद्देनजर हमारा विचार है कि मृतक के कानूनी प्रतिनिधि इस निर्णय में ऊपर दी गई तालिका में विभिन्न शीर्षकों के तहत उल्लिखित मुआवजे के हकदार हैं, भले ही कुछ दावों को प्राथमिकता नहीं दी गई हो। जैसा कि हमारा विचार है कि वे कानूनी और वैध रूप से उक्त दावों के हकदार हैं। तदनुसारए हम उनके द्वारा दावा किए गए मुआवजे से अधिक मुआवजा देते हैं क्योंकि यह ट्रिब्यूनल और अपीलीय अदालत का वैधानिक कर्तव्य है कि वह मृतक के कानूनी प्रतिनिधियों को उनकी कठिनाई और पीड़ा को कम करने के लिए उचित

और उचित मुआवजा देए जैसा कि इस न्यायालय ने कहा है। मामलों की श्रृंखला मेंण् इसलिएए इस न्यायालय ने अपीलकर्ताओं के पक्ष में उचित और उचित मुआवजा दिया है क्योंकि उन्होंने एमवी अधिनियम की धारा 166 के तहत मुआवजे का दावा करने के लिए आवेदन दायर किया था। उपरोक्त प्रासंगिक तथ्यों और रिकॉर्ड पर कानूनी साक्ष्य को ध्यान में रखते हुए और प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत खंडन साक्ष्य की अनुपस्थिति मेंए हम कुल राशि रु। का पुरस्कार देकर उचित और उचित मुआवजा निर्धारित करते हैं। दावा याचिका दायर करने की तारीख से अपीलकर्ताओं को भुगतान की तारीख तक 7.5% की दर से ब्याज के साथ 16,96,000/- रु.

10. तद्नुसार उपरोक्त शर्तों पर अपील स्वीकार की जाती है। प्रतिवादी को इस अपील में बढ़ा हुआ मुआवज़ा निम्नलिखित अनुपात में अपीलकर्ताओं के पक्ष में ब्याज सहित भुगतान करने का निर्देश दिया गया है। पुरस्कार राशि का 75% अपीलकर्ता संख्या 1 से 3 के पक्ष में समान रूप से भुगतान किया जाएगा और शेष 25% आनुपातिक ब्याज के साथ समान अनुपात में अपीलकर्ता संख्या 4 और 5 के नाम पर होना चाहिए। 75% में से अपीलकर्ता संख्या 1 से 3 में से प्रत्येक को 25% मिलेगा और इसके अलावाए अपीलकर्ता संख्या 2 के हिस्से का 10% और अपीलकर्ता संख्या 3 के हिस्से का 10% आनुपातिक ब्याज के साथ जमा किया जाना चाहिए। उनमें से प्रत्येक को उनकी पसंद के किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक में और प्रत्येक पुरस्कार राशि का शेष 15%, आनुपातिक ब्याज के साथ उन्हें

भुगतान किया जाएगा। अपीलकर्ता संख्या 2 और 3 अपने कल्याण और विकासात्मक उद्देश्यों के लिए जमा की गई धनराशि को जारी करने के लिए ट्रिब्यूनल में जाने के लिए स्वतंत्र हैं। भुगतान और जमा के संबंध में उपरोक्त निर्देश छह सप्ताह के भीतर बैंक में जमा करके उपरोक्त निर्देशानुसार उनमें से प्रत्येक के नाम पर निकाले गए डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से राशि का वितरण करना होगा। लागत के रूप में कोई ऑर्डर नहीं होगा।

अपील स्वीकृत

नोटः- यह अनुवाद आर्टिफिसियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी जितेन्द्र डूकिया, आर.जे.एस. द्वारा किया गया है।

अस्वीकरणः यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य अद्येश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और अधिकारिक उद्येश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्येश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।